!! कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला करौली राज0 !!

प्रेस–नोट

दिनांकः– 12.10.2018

➢ अबैध देशी शराब के 126 पव्वा जप्त दो आरोपी गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक करौली अजयसिंह के निर्देशन में आगामी विधानसभा आम चुनाव–2018 के अन्तर्गत मादक पदार्थो के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना श्रीमहावीरजी ने कार्यवाही करते हुए आरोपी हरीओम पुत्र ब्रहमसिंह जाति गुर्जर निवासी बडी बाखर थाना हिण्डौनसिटी जिला करौली को अवैध शराब के 78 पब्बे सहित गिरफ्तार किया गया एवं थाना सदर हिण्डौन ने कार्यवाही करते हुए आरोपी नरेन्द्र उर्फ मन्टू पुत्र जयसिंह जाति जाटव निवासी कॉचरोली थाना सदर हिण्डौन को अवैध शराब के 48 पब्बे सहित गिरफ्तार किया गया।

थाना श्रीमहावीरजी – दिनांक 11.10.2018 को अतरसिंह उप निरीक्षक को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति हिगोंट तिराया के पास अवैध शराब लेकर आ रहा है। उक्त सूचना पर हिगोट तिराया से आरोपी हरीओम पुत्र ब्रहमसिंह जाति गुर्जर निवासी बडी बाखर थाना हिण्डौनसिटी जिला करौली को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से अवैध शराब के 78 पब्बो को जप्त कर अभियोग संख्या 212/18 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट में थाना श्रीमहावीरजी पर पंजीबद्व किया गया।

थाना सदर हिण्डौन – दिनांक 11.10.2018 को रविन्द्रसिंह हैड कानि. 1565 को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति गॉव कॉचरोली में जाटव बस्ती के पास शराब बेच रहा है। उक्त सूचना पर जाटव बस्ती कॉचरोली से आरोपी नरेन्द्र उर्फ मन्टू पुत्र जयसिंह जाति जाटव निवासी कॉचरोली थाना सदर हिण्डौन को अवैध शराब के 48 पब्बे सहित गिरफ्तार अभियोग संख्या 465/18 धारा 19/54 एक्साईज एक्ट में थाना सदर हिण्डौन पर पंजीबद्व किया गया।

➢ पांच वारण्टी, एक स्थाई वारण्टी गिरफ्तार –

थाना सदर करौली – दिनांक 12.10.18 को युधिष्ठर उपनिरीक्षक थानाधिकारी सदर करौली के द्वारा न्यायालय श्रीमान न्याययिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग करौली के कोर्ट केस नम्बर 09/03 की पालना में वारण्टी बिन्टू उर्फ बन्टू पुत्र सुबराती जाति तेली मुसलमान निवासी मदीना मस्जिद गंगापुरसिटी जिला सवाई माधोपुर को गिरफतार किया गया।

थाना गढमोरा – दिनांक 12.10.18 को गिर्राजप्रसाद उप निरीक्षक थानाधिकारी गढमोरा के द्वारा न्यायालय श्रीमान ऐडीजे कोर्ट हिण्डौनसिटी के कोर्ट केस नम्बर 118/16 की पालना में स्थाई वारण्टी हाकिम उर्फ धारा पुत्र जयनारायण जाति गुर्जर निवासी रूपाडी थाना गढमोरा को जगतपुरा जयपुर से गिरफतार किया गया।

थाना सदर हिण्डौन – दिनांक 12.10.18 को रविन्द्रसिंह हैड कानि. 1565 के द्वारा न्यायालय श्रीमान ग्राम न्यायालय हिण्डौनसिटी की पालना में वारण्टी 1. गिरधारी पुत्र हरीसिंह 2. ओमप्रकाश पुत्र सोहनलाल 3. श्रीमति पिस्ता पत्नि सोहनलाल 4. श्रीमति मोतनी पत्नि हरीसिंह जातियान जाटव निवासीगण फुलवाडा थाना सदर हिण्डौन को गिरफ्तार किया गया।

➢ *शराब बेचने का फरार आरोपी गिरफ्तार,* –

थाना मासलपुर –दिनांक 12.10.2018 को श्री मुकट विहारी हैड कानि0 1650 को दौराने गश्त जरिये मुखबिर सूचना मिली रामरज पुत्र विशनलाल जाति जाटव निवासी मैगरा खुर्द थाना मासलपुर बस स्टेण्ड मासलपुर पर बाहर जाने की फिराक में खडा है उक्त सूचना पर अभियोग संख्या 129/18 धारा 19/54 एक्ससाईज में फरार आरोपी रामरज पुत्र विशनलाल जाति जाटव निवासी मैगरा खुर्द थाना मासलपुर जिला करौली को गिरफ्तार किया गया।

➢ शांति भंग करने पर 5 आरोपी गिरफ्तार –

थाना कुडगांव :– दिनांक 11.10.2018 को मलखान हैड कानि0 30 के द्वारा दौराने गश्त डफलपुर मोड के पास आपस में लडाई–झगडा कर मरने मारने पर उतारू होने पर पुलिस द्वारा समझाईस करने पर नही मानने पर आरोपी 1. नीरज पुत्र लोहरे 2. लोहरे पुत्र जोहरी 3. राहुल पुत्र दीनदयाल जातियान जाट निवासीयान डफलपुर थाना कुडगांव को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफतार किया गया।

थाना सदर हिण्डौन :– दिनांक 11.10.2018 को भीमसेन मिश्रा हैड कानि. 1511 के द्वारा दौराने मौजा बांजना खुर्द में आपस में लडाई–झगडा कर मरने मारने पर उतारू होने पर पुलिस द्वारा समझाईस करने पर नही मानने पर आरोपी 1. हरदेव पुत्र भरतलाल 2. भगवान सहाय पुत्र रत्तीराम जातियान जाटव निवासीगण बांजना खुर्द को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किया गया।